न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर (म०प्र०)

(55)

अपी० क्र० 11-4/P/1/08/95 A०४-4/P/1/08/95

इन्दलवा तनय पोवका कोल निवासी ग्राम सतनरा पवाई तह०गोपदबनास जिला सीधी (म०प्र०)

---------अपीलार्थी/आवेदक

दिनांक 25-1-95 को रीवा कैम्प पर श्री ... द्वारा आवे० प्रस्तुत।

25-1-95 रीवा

बनाम

1- शिवपति प्रसाद तनय रामप्रताप राम
2- बाबूलाल तनय भगवन्त अवधिया
3- सुखई तनय मौनी कोल ✓
4- गल्होरी तनय कल्ला कोल ✓
5- दुलारे तनय कुझ्झा कोल
6- मु०० मनगिरिया पत्नी बोधानी
7-सुकरमा तनय बोधानी
8-गनेसवा तनय बोधानी
9-सगना तनय बोधानी
10-श्यामलाल तनय बोधानी
11-शिवबहोर तनय बोधानी
12- रामफल तनय बु बोड्डा
13- शंकर प्रसाद तनय रामप्रताराम
14- त्रिलोकीनाथ तनय रामकरण
15- म०प्र० शासन

सभी निवासी ग्राम सतनरा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म०प्र०)

----रेस्प०/अनावेदक

अपील विरूद्ध आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र०11/अ/74/94-95आदेश दि०26-12-94 कोनिरस्त करते हुये अपील प्रकरण क्र०83/अ/19/90 ×91 खारिज दि०24-3-92 को कार्यवाही में लिये जाने हेतु।

अपील अंतर्गत धारा 35(4)म०प्र०भू०रा० संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न है:-

क्रमश:.....2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 109/1995 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–08–2016	आवेदक के अभिभाषक श्री कुवंर सिंह उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित है। 2/ आवेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा संहिता की धारा 5 अवधि विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है । 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह माना है कि अदम पैरवी में निरस्त प्रकरण क्रमांक 83/अ/19/1990–91 को पुर्नस्थापित करने के लिये आवेदन–पत्र इस न्यायालय में अधीक्षक के समक्ष 12.08.94 को प्रस्तुत किया गया तथा विलंक माफ करने हेतु आवेदन–पत्र में यह लिखा गया है कि दिनांक 24.03.92 प्रकरण की अदम पैरवी में निरस्त होने की जानकारी आवेदक को 07.08.93 को हुई है यह बात आवेदक के शपथ–पत्र में भी लिखी गई है । 07.08.93 से 12.08.94 तक विलंब के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण विलंब माफ करने के आवेदन–पत्र में नहीं दिया गया है । अतः यह आवेदन पत्र संक्षिप्त निरस्त किया जाता है । जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र के दिनांक 12.08.93 को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, तथा अधीक्षक कार्यालय की दिनांक 12.08.93 के स्टाम्प टिकिट में सील मुद्रांकित है तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कार्य द्वारा भी हासिये में आवेदन–पत्र प्रस्तुत	

करने का दिनांक 12.08.93 ही माना है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक की त्रुटि को अधिक महत्व दिया तथा अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुये कानून का गला घोट दिया तथा आवेदक को न्याय से वंचित कर दिया गया, जो काबिल निरस्ती के है, निरस्त किया जावे।

4/ मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी मेंमो में यह अवगत कराया है कि आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र के दिनांक 12.08.93 को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया था, तथा अधीक्षक कार्यालय को दिनांक 12.08.93 को स्टाम्प टिकट में सील मुद्रांकित तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत कार द्वारा हासिये में आवेदन–पत्र दिनांक 12.08.93 ही माना है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जानकारियों को विचार में लिये बिना विलंब के आधार पर प्ररकण पुर्नस्थापित न करते हयु खारिज कर दिया है ।

5/ अतएव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.94 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि निगरानीकार द्वारा दी गई तत्थात्मक जानकारी को विचार में लेते हुये, प्रकरण का निराकरण विधि अनुसार किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य